FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) [illegible]

नरेन्द्र कुमार बनाम इन्द्र नारायण वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RTR नं. 205/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.20	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरेन्द्र कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्त~~कारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.09.20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
29/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील हस्ब तामील प्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी विशेष कार्य से व्यस्त होने से मिसल इन्तकाल होकर बाद में दिनांक 08/03/2021 को पेश हो। [signature]	
08/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तकाल होकर दिनांक 02/06/2021 को पेश हो। [signature]	

02/06/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/08/2021
को पेश होवे

04/08/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 08/12/2021
को पेश होवे

08/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल हुकम तामिल मौजूद। चूंकि पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 25/03/2022 को पेश होवे

25/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षीगणों के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया गया जो जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जाकर पत्रावली दिनांक - 28/04/2022 को पेश होवे

सहायक कलक्टर
(SDO) बाली

व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस फ़ार्म के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलीवरी रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेम लेन आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी मादे व कोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नियमवत् मौके पर इश्तिहार शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 541

दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम, जाति जाट, निवासी जेतानियों की ढाणी, पटवार मण्डल भाड़खा, तहसील बाड़मेर (बाड़मेर)		1. हुकमाराम पुत्र दलाराम वगैरा 05, जाति जाट, निवासी पोषाल, पटवार मण्डल बोड़वा, तहसील शिव (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 205 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – लुणाडा, पटवार मण्डल –लुणाडा, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1576 / 1458 रकबा 0.9708 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 28/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 542-546

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम,
4. विप्रार्थी श्री हुकमाराम पुत्र दलाराम वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु